

फार्म क्रमांक: _____

राजस्थान रेजीडेन्सियल ऐज्युकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. सरकार के नियंत्रणाधीन) द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र (निष्क्रमणीय पशुपालक एवं भिक्षावृत्ति व अवांछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के बालकों हेतु)

पासपोर्ट साईज की फोटो चिपकाने के बाद राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवायें

1. छात्र / छात्रा का नाम
2. पिता/अभिभावक का नाम
3. माता का नाम
4. स्थायी पता ग्राम पोस्ट तहसील
जिला पिन.....
5. पत्र व्यवहार का पता ग्राम पोस्ट तहसील
जिला पिन.....
6. जन्म तिथि (अंकों में)
(शब्दों में).....
7. परिवार की वार्षिक आय रुपये (अंको में) (शब्दों में)
(BPL/आय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें। निष्क्रमणीय पशुपालक एवं भिक्षावृत्ति व अवांछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के लिए अधिकतम आय सीमा एक लाख रुपये होगी।)
8. पिछली उत्तीर्ण कक्षा एवं विद्यालय का नाम
(अंकतालिका की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
9. विद्यालय का नाम जहाँ छात्र/छात्रा प्रवेश चाहता है
10. क्रम संख्या 9 के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों में प्रवेश हेतु विकल्प 1..... 2.....
11. कक्षा जिसमें प्रवेश चाहता/चाहती है
12. निष्क्रमणीय पशुपालक /भिक्षावृत्ति व अवांछित वृत्तियों में लिप्त) प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
13. यदि छात्र के माता व पिता दोनों ही जीवित नहीं है या विधवा/परित्यक्ता महिला की सन्तान है या विकलांग है तो उल्लेख करें।
..... (तत्सम्बन्धी सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

मैं शपथपूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त सम्पूर्ण विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य है। प्रवेश मिलने पर मैं विद्यालय के सभी नियमों का पालन करूंगा/करूगी। आवेदन पत्र में कोई तथ्य गलत पाये जाने की स्थिति में विद्यालय द्वारा मेरा प्रवेश निरस्त किया जाकर मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है। कृपया मुझे प्रवेश की अनुमति प्रदान करें।

आवेदक के हस्ताक्षर

माता - पिता /अभिभावक द्वारा घोषणा

(माता एवं पिता के जीवित न होने पर ही अभिभावक द्वारा घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किये जायेंगे)

- (i) मैं मानपूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पुत्र/संरक्षित को प्रवेश मिलने पर उसके द्वारा विद्यालय के सभी नियमों का पालन किया जावेगा।
- (ii) मेरे पुत्र/संरक्षित का राईस द्वारा संचालित किसी भी विद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में, मैं एक वर्ष से पूर्व राईस के अन्य विद्यालय में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध नहीं करूँगा/करूँगी।
- (iii) आवेदन पत्र में कोई तथ्य गलत पाये जाने की स्थिति में मेरे पुत्र/ संरक्षित का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है एवं मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है एवं उसकी शिदा पर किया गया व्यय भी राज्य सरकार द्वारा वसूलनीय होगा।
- (iv) छात्र को किसी भी प्रकार के दोषपूर्ण आचरण के कारण विद्यालय/प्रशासन को स्कूल से पृथक करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।

(पिता /माता/अभिभावक के हस्ताक्षर)

संलग्नक- निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति।

संलग्नक: - (संलग्न किये गये प्रमाण-पत्रों पर ✓ का निशान लगाये)

1. पिछली कक्षा की अंक-तालिका।
2. निष्क्रमणीय पशुपालक परिवार होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
3. मूल निवास प्रमाण-पत्र।
4. माता-पिता जीवित नहीं होने/विधवा/परित्यक्ता महिला की संतान होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
5. आय प्रमाण पत्र।
6. राजकीय चिकित्सक द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र।
7. सक्षम अधिकारी द्वारा निष्ठावृत्ति व अवांछित वृत्तियों में लिप्त परिवार होने सम्बन्धी के बालकों का प्रमाण पत्र।